315

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

INDEX

IN

Response Affidavit on behalf of Respondent no. 3

(State Wetland Authority)

in

Original Application No. 1335 of 2024

Hemant Singh Gonia

Petitioner

Versus

State of Uttarakhand & Ors.

Respondents

Sr. No.	Description of Documents	Page Nos.
1.	Index	1-2
2.	Response Affidavit	3 - 7
3.	**Annexure No. 1** (Copy of the letter dated 12.03.2025)	8 -

4.	**Annexure No. 2** (Copy of the letter dated 01.04.2025)	9
5.	**Annexure No. 3** (Copy of letter dated 14.05.2025)	10
6.	**Annexure No. 4** (Copy of letter dated 14.05.2025)	11
7.	**Annexure No. 5** (Copy of letter dated 15.05.2025 enclosed with Minutes of Meeting)	12 - 16

Date: June, 2025
Place: Dehradun

Dr. Aman Rab
Advocate
(Counsel for respondent no. 3)

317

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Response Affidavit on behalf of Respondent no. 3

(State Wetland Authority)

in

Original Application No. 1335 of 2024

NOTARIAL NOTARIAL

Hemant Singh Gonia

Petitioner

Versus

State of Uttarakhand & Ors.

Respondents

AFFIDAVIT of Dr. Sarada Prasanna Subudhi, aged about 56 years, presently posted as Member Secretary, State Wetland Authority, Dehradun and Director, State Environment Conservation and Climate Change (SECCCD).

Deponent

NOTARY Km. Urmila Bhatia Advocate Reg.No. 20/01/02 Dehra Dun. STATE OF UTTARAKHAND

I, the above-named deponent does hereby solemnly affirm and state on oath as under: -

1. That the deponent is presently posted as Member Secretary, State Wetland Authority, Dehradun and Director, State Environment Conservation and Climate Change (SECCCD) and is duly authorized to sign and file the instant affidavit on behalf of respondent no. 3 and as such is fully conversant with the facts of the case.

2. That the above-mentioned matter was last listed for hearing on 25.02.2025, wherein the Hon'ble National Green Tribunal was pleased to issue the following directions:

"………

3. In view of the averments made in the original application and observations made by the joint committee; we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttarakhand through Principal Secretary, Environment Department, Government of Uttarakhand (2) District Magistrate, Nainital, (3) State Wetland Authority, Dehradun, Uttarakhand, (4) Divisional Commissioner, Kumaon Division, Nainital and (5) Uttarakhand Pollution Control Board through Member Secretary, who are impleaded as respondents No. 1 to 5. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application.

5. The Registry is directed to issue notices to respondents No. 1, 2, 3 and 4 requiring them to file their replies/responses within one month.

………"

NOTARY Km. Urmila Bhatia Advocate Reg.No. 1201/02 Dehra Dun. STATE OF UTTARAKHAND

3. That in compliance with the aforementioned direction, it is humbly submitted that the Additional Secretary, Government of Uttarakhand vide letter dated 12.03.2025 directed the District Magistrate, Nainital, Member Secretary, State Wetland Authority, Uttarakhand, Commissioner, Kumaon Division, Nainital, Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun to submit the required information pertaining to their respective Departments in order to ensure the compliance of the directions of this Hon'ble Tribunal. In this connection, a copy of the letter dated 12.03.2025 is being filed and marked as **Annexure no. 1** to this affidavit.

4. That thereafter, the Secretary, State Level Technical Committee of State Wetland Authority, vide letter dated 01.04.2025 requested the Chairman and Member Secretary of District Level Technical Committee of State Wetland Authority (SWA) that the Naini Lake is yet to be notified as wetland under the Wetlands (Conservation and Management) Rules 2017 and therefore a detailed proposal to be sent to the State Level Technical Committee for further necessary action. In this letter, district level technical committee has also been requested to send Zone of influence of Naini Lake and its wise use. In this connection, a copy of the letter dated 01.04.2025 is being marked and filed as **Annexure no. 2** to this affidavit.

5. That, the Secretary, State Level Technical Committee again requested vide letter dated 14.05.2025 to the Chairman and Member Secretary of District Level Technical Committee of State Wetland

NOTARY Km. Urmila Bhatia Reg.No. 09/01/02 Dehradun STATE OF UTTARAKHAND

Authority (SWA) to submit their proposal regarding Naini lake. In this connection, a copy of the letter dated 14.05.2025 is being marked and filed as **Annexure no. 3** to this affidavit.

6. That, in response to those letters of the Secretary, State Level Technical Committee dated 01.04.2025 and 14.05.2025, the Secretary, DLTC in its letter bearing no. 6954/32-1 dated 14.05.2025 requested chairman, DLTC and DM, Nainital to convene a meeting. In this connection, a copy of the letter dated 14.05.2025 is being marked and filed as **Annexure no. 4** to this affidavit.

7. That, the Secretary, District Level Wetland Technical Committee Nainital vide letter bearing no.440/12 dated 15.05.2025 informed the Member Secretary, State Level Technical Committee that the committee is of the opinion that, in view of the man-made structures of Naini-lake, its multi-purpose nature and status of protected forest, it is not appropriate to notify Naini Lake as a Wetland under Wetland (Conservation and Management) Rules, 2017. Furthermore, the Committee has enclosed the minutes of the meeting held under the chairmanship of the Chairman, District Level Technical Committee/ District Magistrate, Nainital, in connection with the proposed notification of Naini Lake as a wetland. In this connection, a copy of the letter dated 15.05.2025 and enclosed Minutes of the meeting is being marked and filed as **Annexure no. 5** to this affidavit.

NOTARY
Km. Urmila Bhatia
Advocate
Reg.No.-09...
Dehra Dun
STATE OF UTTARAKHAND

8. That the deponent is a responsible Government servant having the highest regard for the Hon'ble Tribunal and order passed by them. The deponent has always made his sincerest efforts to carry out the orders passed by this Hon'ble Tribunal in its letter and spirit and shall continue to do so in the future.

Deponent

Verification: -

Verified at Dehradun on the ..23... day of June, 2025, that the contents of the response affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief based on the official record and nothing is false, and no material has been concealed therein.

Identified by
Priyanka
Priyanka Jina,
Advocate
Enrol. UK/1475/2022

Deponent

Dated: 23 June, 2025

affidavit is sworn before me by Dr. Sapna Sutudhi
is identified by Priyanka Jina Adv.
Dehradun on 23/6/2025

KM. URMILA BHATIA
Advocate & NOTARY, Dehradun

NOTARY
Km. Urmila Bhatia
Advocate
Reg.No.-08/01/02
Dehra Dun.
STATE OF UTTARAKHAND

Annexure No. 1

(8)

322 संख्या–191 /XXXVIII-1–2025–15(01)2025
शीर्ष प्राथमिकता / कोर्ट–केस

प्रेषक,

कहकशां नसीम
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी, नैनीताल।
2. निदेशक, SECCCD / सदस्य सचिव, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

पर्या0 संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 12 . मार्च, 2025

विषयः– मा.राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या 1335 / 2024 हेमन्त सिंह गोनिया बनाम् उत्तराखण्ड राज्य एव अन्य के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा.राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 25.02.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत मूल वाद संख्या 1335 / 2024 हेमन्त सिंह गोनिया बनाम् उत्तराखण्ड राज्य एव अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.02.2025 के अनुपालन में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा.प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.02.2025 के अनुपालन में अपने–अपने विभाग से सम्बन्धित उक्त वांछित सूचना एक सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रश्नगत प्रकरण अगली सुनवाई दिनांक 17.04.2025 को नियत होने के दृष्टिगत आपका व्यक्तिगत ध्यान भी अपेक्षित है।

संलग्नकः–यथोपरि।

Directorate Environment, Conservation & Climate Change * Uttarakhand *
Diary No. 2461
Date. 17-03-25

Plz ask Aman Rao, Advocate to do the needful

भवदीया,

(कहकशां नसीम)
अपर सचिव

NOTARY
Km. Urmila Bhatia
Advocate
Reg. No. 09/01/02
Dehra Dun
STATE OF UTTARAKHAND

कार्यालय
उत्तराखण्ड राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण

गौरादेवी पर्यावरण भवन, 46–बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
ई–मेल–dir.secccduk@gmail.com

पत्रांक– 920 /T-95 /आर्द्रभूमि / 2025–26 **दिनांक– 01 .04.2025**

सेवा में,

1. **जिलाधिकारी,** नैनीताल / **अध्यक्ष,** जिला स्तरीय तकनीकी समिति।
2. **प्रभागीय वनाधिकारी,** नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल / **सदस्य सचिव,** जिला स्तरीय तकनीकी समिति।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्याः 1335 / 2024 हेमन्त सिंह गोनिया बनाम् उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के संबंध में।

महोदय,

विषयगत के क्रम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा नैनी झील शहर में स्थित नैनी झील के संबंध में स्टेट वेटलैण्ड अथॉरिटी का अभिमत अपेक्षा की गई है। वर्तमान में नैनी झील को आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबन्ध) नियम, 2017 के अन्तर्गत वेटलैण्ड के रूप में अधिसूचित नहीं की गई है।

उक्त के क्रम में आपसे अपेक्षा है कि नैनी झील को वेटलैण्ड के रूप में अधिसूचित करने के संबंध में सुविचारित प्रस्ताव प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि राज्य स्तर पर परीक्षण कर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकें। आपसे यह भी अपेक्षा है कि नैनी झील का Zone of Influence एवं Wise Use के संबंध में भी जिला स्तरीय समिति का सुविचारित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 एस0पी0 सुबुद्धि)
सचिव, राज्य स्तरीय तकनीकी समिति।

पत्रांक – 920/T-95 / आर्द्रभूमि /2025-26 दिनांकित।

प्रतिलिपि : अपर सचिव, पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र दिनांक 12.03.2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव, राज्य स्तरीय तकनीकी समिति।

o/c

NOTARY
Km. Urmila Bhatia
Dehra Dun
STATE OF UTTARAKHAND

Annexure No. 3 (10)

कार्यालय

उत्तराखण्ड राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण

गौरादेवी पर्यावरण भवन, 46–बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
ई–मेल–dir.seccduk@gmail.com

पत्रांक– १४२ / T-९५ / आर्द्रभूमि / 2025–26 दिनांक– 14 .05.2025

सेवा में,

1. **जिलाधिकारी,** नैनीताल / **अध्यक्ष,** जिला स्तरीय तकनीकी समिति।
2. **प्रभागीय वनाधिकारी,** नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल / **सदस्य सचिव,** जिला स्तरीय तकनीकी समिति।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्याः 1335 / 2024 हेमन्त सिंह गोनिया बनाम् उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के संबंध में।

सन्दर्भः इस कार्यालय का पत्रांकः 920/T-95 / आर्द्रभूमि / 2025–26, दिनांक 01.04.2025

महोदय,

इस कार्यालय का संदर्भित पत्र जिसमें नैनीताल जनपद स्थित **नैनी झील** को वेटलैण्ड के रूप में अधिसूचित करने के संबंध में जिला स्तरीय तकनीकी समिति का सुविचारित प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया था, का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। उक्त पत्र में आपसे यह भी अपेक्षा की गई थी कि जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा नैनी झील का Zone of Influence एवं Wise Use के संबंध में भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

आपके संज्ञान में लाना है कि अतिथि तक जिला स्तरीय तकनीकी समिति से नैनी झील के संबंध में किसी भी प्रकार का प्रस्ताव राज्य स्तरीय तकनीकी समिति को प्राप्त नहीं हुई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण पर जिला स्तरीय तकनीकी समिति कि सुविचारित प्रस्ताव प्राथमिकता के आधार पर प्रेषित करने का कष्ट करें। प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 में 17 जुलाई, 2025 को पुनः सुनवाई होनी है। अतः आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

भवदीय,

(डॉ0 एस0पी0 सुबुद्धि)
सचिव, राज्य स्तरीय तकनीकी समिति।

पत्रांक –१४२/T-९५ /आर्द्रभूमि /2025-26 दिनांकित।

प्रतिलिपिः प्रमुख सचिव, पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, उत्तराखण्ड शासन / अध्यक्ष, राज्य स्तरीय तकनीकी समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव, राज्य स्तरीय तकनीकी समिति।

NOTARY Km. Urmila Bhatia Advocate Regn. No. 07/01/02 Dehra Dun STATE OF UTTARAKHAND

(11)

Annexure No. 4

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
E-Mail- dfonainital@gmail.com
पत्रांक 6954/32-1 दिनांक, नैनीताल 14/5/ 2025

सेवा में,

जिलाधिकारी, नैनीताल/अध्यक्ष
जिला स्तरीय तकनीकी समिति,
आर्द्रभूमि प्राधिकरण, नैनीताल।

विषयः— **मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या 1335/2024 हेमन्त सिंह गौनिया बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः— **उत्तराखण्ड राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, गौरादेवी पर्यावरण भवन, 46 बी० आई० टी० पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड की पत्र संख्या 982/टी० 95/आर्द्रभूमि/2025—26 दिनाँक 14 मई, 2025।**

महोदया,

उपरोक्त विषयक सचिव, उत्तराखण्ड राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, गौरादेवी पर्यावरण भवन, 46 बी० आई० टी० पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड के उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छाया प्रति संलग्न)। संदर्भित पत्र के माध्यम से जिला स्तरीय आर्द्रभूमि तकनीकी समिति नैनीताल को जनपद नैनीताल स्थित नैनी झील को आर्द्रभूमि (Wetland) के रूप में अधिसूचित करने तथा नैनी झील का Zone of Influence and Wise use के सम्बन्ध में सुविचारित प्रस्ताव प्रेषित करने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

अतः उपरोक्त के क्रम में अनुरोध है, कि नैनी झील को आर्द्रभूमि (Wetland) के रूप में अधिसूचित करने तथा नैनी झील का Zone of Influence and Wise use के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर विचार कर उच्च स्तर को प्रेषित करने हेतु जिला स्तरीय आर्द्रभूमि तकनीकी समिति की बैठक आयोजित करने के सम्बन्ध में शीघ्र समय प्रदान करने का कष्ट करें। प्रकरण मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में वाद संख्या 1335/2024 हेमन्त सिंह गौनिया बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में गतिमान है।

भवदीय

(चन्द्रशेखर जोशी)
सचिव, जिला स्तरीय आर्द्रभूमि
तकनीकी समिति नैनीताल/उप वन
संरक्षक,नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः— उत्तराखण्ड राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, गौरादेवी पर्यावरण भवन, 46 बी० आई० टी० पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(चन्द्रशेखर जोशी)
सचिव, जिला स्तरीय आर्द्रभूमि
तकनीकी समिति नैनीताल/उप वन
संरक्षक,नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

NOTARY
Km. Uma Bhatia
Reg. No. 05/2022
STATE OF UTTARAKHAND

Annexure No. 5

(12)

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल।

संख्या 440/12-ZAC /2024-2025 दिनांक/ 15/5 /2025

सेवा में,

सदस्य सचिव,
राज्यस्तरीय तकनीकी समिति कार्यालय उत्तराखण्ड
राज्य आद्रभूमि प्राधिकरण गौरादेवी पर्यावरण भवन,
46-बी, आई टी पार्क सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

विषयः- माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-1335 / 2024 हेमन्त सिंह गोनिया बनाम् उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में।

संदर्भः- आपकी पत्र संख्या-920 / T-95 / आर्द्रभूमि / 2025-26 दिनॉक 01.04.2025 एवं 982 / T-95 / आर्द्रभूमि / 2025-26 दिनॉक 14.05.2025

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-1335 / 2024 हेमन्त सिंह गोनिया बनाम् उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के क्रम में नैनी झील में वेट लैण्ड के रूप में अधिसूचित करने हेतु जिला स्तरीय तकनीकी समिति का सुविचारित प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश निर्गत किये गये थे।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-802 दिनॉक 26.09.2017 के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 के अन्तर्गत आद्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबन्ध) नियम-2017 अधिसूचित किये गये हैं इस क्रम में उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3 की कार्यालय ज्ञाप संख्या-757(2) / X-3-19-09(10)2004 दिनॉक 16.10.2019 के अनुपालन में राज्य आद्र भूमि प्राधिकरण की गतिविधियों को संचालित करने के लिए जिला स्तरीय तकनीकी समिति का गठन इस कार्यालय के आदेश पत्रांक-577 / 12-ज्येड.ए.सी. / 2023-24 दिनॉक 08.08.2023 द्वारा किया गया है।

नैनीताल जनपद में स्थित नैनी झील को आद्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबन्ध) नियम-2017 के अन्तर्गत वेट लैण्ड के रूप में अधिसूचित करने हेतु दिनॉक 15.05.2025 को जनपद नैनीताल की जिला स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक आयोजित की गयी थी बैठक में नैनी झील की मानव निर्मित संरचनाओं, बहुउपयोग, रिचार्ज जोन एंव वैधानिक स्थिति पर अभिलेखों सहित विस्तृत विचार-विमर्श किया गया बैठक का कार्यवृत्त संलग्न किया जा रहा है।

जनपद स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा समस्त अभिलेखों एवं परिस्थितियों पर विचार-विमर्श करने के उपरान्त यह अभिमत दिया गया है कि नैनी झील की मानव निर्मित संरचनाओं, झील के बहुउपयोगी प्रवृति एवं संरक्षित वन के प्रास्थिति को देखते हुए नैनी झील को आद्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबन्ध) नियम-2017 के अन्तर्गत वेट लैण्ड के रूप में अधिसूचित किया जाना उचित नहीं है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(वन्दना) भा.प्र.से.
अध्यक्ष सचिव जिला स्तरीय
आद्रभूमि तकनीकी समिति नैनीताल
/ जिलाधिकारी, नैनीताल।

Directorate Environment, Conservation & Climate Change * Uttarakhand *
Diary No. 2668
Date 15-05-25

NOTARY
Km. Urmila Bhatia
STATE OF UTTARAKHAND

पत्रांक 440 /12 – 7AC/2024-2025 उक्तदिनांकित
प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
2. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ उत्तराखण्ड, नैनीताल।
3. सचिव जिला स्तरीय आद्रभमि तकनीकी समिति नैनीताल / प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

(वन्दना) भा.प्र.से.
अध्यक्ष सचिव जिला स्तरीय
आद्रभूमि तकनीकी समिति नैनीताल
/जिलाधिकारी, नैनीताल।

NOTARY
Km. Urmila Bhatia
Reg. No. [illegible]
Dehra Dun
STATE OF UTTARAKHAND

दिनांक 15.05.2025 को अध्यक्ष जिला स्तरीय तकनीकी समिति/जिलाधिकारी नैनीताल की अध्यक्षता में नैनी झील को वैट लैण्ड के रूप में अधिसूचित करने के सम्बन्ध में आयोजित
बैठक का कार्यवृत्त।

सदस्य सचिव, राज्यस्तरीय तकनीकी समिति कार्यालय उत्तराखण्ड राज्य आद्रभूमि प्राधिकरण गौरादेवी पर्यावरण भवन, 46-बी, आई टी पार्क सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून द्वारा पत्रांक-920/T-95/आद्रभूमि/2025-26 दिनॉक 01.04.2025 द्वारा नैनीताल जनपद अन्तर्गत नैनीताल झील को वेटलैण्ड के रूप में अधिसूचित करने हेतु जिला स्तरीय तकनीकी समिति का सुविचारित प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था विषयगत पत्र में जिला स्तरीय तकनीकी समिति से यह भी अपेक्षा की गयी थी कि समिति द्वारा नैनी झील का Zone of Influence एवं Wise Use के सम्बन्ध में भी प्रस्ताव प्ररस्तुत किया जाय। इस विषय पर सचिव जिला स्तरीय आद्रभूमि तकनीकी समिति नैनीताल/उप वन संरक्षक नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल द्वारा अपने पत्रांक-6954/32-1 दिनॉक 14.05. 2025 से इस विषय पर बैठक आयोजित करने हेतु अनुरोध किया गया था। बैठक में निम्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे-

1. उप वन संरक्षक, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल।
2. मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
4. अपरजिलाधिकारी,(वित्त एवं राजस्व) नैनीताल।
5. मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल।
6. मुख्य उद्यान अधिकारी, नैनीताल।
7. सहायक निदेशक(मतस्य), भीमताल, नैनीताल।
8. जिला पर्यटन विकास अधिकारी, नैनीताल।
9. अधिशासी अभियन्ता, सिचाई खण्ड, नैनीताल।
10. आपदा प्रबन्धन अधिकारी, जनपद नैनीताल।

बैठक में सर्वप्रथम अध्यक्ष जिलास्तरीय तकनीकी समिति आद्रभूमि नैनीताल/जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा सभी उपस्थित अधिकारियों का स्वागत करते हुए उन्हें बैठक की विषयवस्तु के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी बैठक में नैनी झील के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर विचार किया गया-

1. नैनी झील जनपद नैनीताल के मुख्यालय नैनीताल में स्थित है। जिसकी अधिकतम लम्बाई-1.432 किमी0 एवं चौड़ाई-0.457 किमी0 है। झील की अधिकतम गहराई-27.3 मीटर है। झील की खोज इतिहासकार एवं ब्रिटिश यात्री पीटर बैरन द्वारा 1841 में किया जाना एतिहासिक पुस्तकों में उल्लेखित है।
2. नैनी झील नैनीताल जनपद के जनपद मुख्यालय में लगभग 1938 मीटर ऊँचाई पर स्थित है झील के चारो ओर बॉज, बुरॉस, फल्याट, देवदार, सुरई जैसे महत्वपूर्ण वन हैं। उक्त महत्वपूर्ण प्रजातियों के वन झील के लिए रिचार्ज जोन का कार्य करते हैं, इसके अतिरिक्त नैनी झील के दोनो ओर पर्वतीय क्षेत्रों से झील की ओर मानव निर्मित नाले(नहर) बनाये गये हैं जिनसे वर्षा एवं प्राकृतिक रूप से उत्पादित जल झील में प्रवेश करता है इस प्रकार प्राकृतिक जल झील के रिचार्ज जोन/वन क्षेत्रों से मानवनिर्मित ब्रिटिश कालीन नाले(नहर) के माध्यम से जल की आपूर्ति झील में करते हैं। इसके अतिरिक्त झील के चारों ओर मानव निर्मित दिवारें भी निर्मित हैं जो झील के संरक्षण एवं विकास के उद्देश्य से निर्मित हैं।
3. वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-802 दिनॉक 26.09. 2017 के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 के अर्न्तगत आद्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबन्ध) नियम-2017 प्रख्यापित किये गये हैं। विषयगत नियमों में आद्रभूमि को नियम-2(छ) के अन्तर्गत निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है-

नियम-2(छ)- आद्रभूमि से कोई क्षेत्र या कच्छ पंक, पीटभूमि या जल प्राकृतिक या कृतिम स्थायी या अस्थायी, जल जो ठहरा है या बहते, ताजे खारे या लवणीय जिसके अंतर्गत समुद्री जल का जिसकी

NOTARY
STATE OF UTTARAKHAND

(15)

गहराई ज्वार की स्थिति छह मीटर से अधिक की ना हो अभिप्रेत है, परन्तु इसमें नदी जल मार्ग, धान के खेत पेयजल प्रयोजनार्थ विशिष्ट रूप से मानव निर्मित जल निकाय/जलाशय, मतस्यपालन, नमक उत्पादन और सिचाई प्रयोजनों के लिए विशिष्ट रूप से निर्मित संरचनाएं सम्मिलित नहीं है।

4. बैठक में यह भी अवगत कराया गया है कि नैनीताल झील नैनीताल नगर के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है इस झील पर नौकायन की गतिविधियाँ पर्यटकों एवं क्षेत्रवासियों द्वारा की जाती हैं इस कारण यह नैनीताल नगर के अन्तर्गत आजिविका का भी मुख्य स्रोत है। तल्लीताल में झील के पानी के निकास के लिए बन्ध/डॉठ बनाया गया है इस प्रकार नैनीताल झील का वर्तमान स्वरूप पतनालों एवं डॉठ के कारण मानव निर्मित भी है।
5. आद्रभूमि(संरक्षण एवं प्रबन्धन) अधिनियम–2017 के नियम–3 के अनुसार ये नियम समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय वन अधिनियम–1927, वन्य जीव संरक्षक अधिनियम–1972, वन(संरक्षण) अधिनियम–1980, राज्य वन अधिनियम तथा तटीय विनियमन जोन अधिसूचना–2011 के अन्तर्गत पड़ने वाली आद्रभूमि पर लागू नहीं होंगे।
6. तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–869/एफ/638 दिनॉक 17.10.1893 से कुमाऊँ और गढ़वाल के तत्कालीन जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा एवं गढ़वाल की समस्त भूमि जो आरक्षित वन अथवा नाप भूमि से पृथक थी को भारतीय वन अधिनियम–1978 की धारा 28 के अन्तर्गत रक्षित वन/संरक्षित वन घोषित किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार आरक्षित वन एवं निजी भूमि के अतिरिक्त समस्त भूमियों पर उक्त अधिसूचना प्रभावी रहेगी। विषगत अधिसूचना को विखण्डित करने के लिए उत्तराखण्ड शासन द्वारा अधिसूचना संख्या–866/एक्स–3–2011/8(21)/2010 दिनॉक 28.09.2011 निर्गत की गयी थी। जिसे माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के समक्ष रिट याचिका संख्या–2764/एम एस/2011 रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के रूप में चुनौती दी गयी थी। मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या–2764/एम एस/2011 रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में दिनॉक 26.10.2017 को आदेश पारित करते हुये उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–866/एक्स–3–2011/8(21)/2010 दिनॉक 28.09.2011 को अपास्त(Set Aside) कर दिया गया है। विषयगत प्रकरण में वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल की खण्डपीठ के समक्ष विशेष अपील दायर की गयी है जिसमें कोई भी स्थगन आदेश निर्गत नहीं है। इस प्रकार वर्तमान में अधिसूचना संख्या–869/एफ/638 दिनॉक 17.10.1893 प्रभावी है। इस प्रकार विषयगत क्षेत्र तत्कालीन भारतीय वन अधिनियम–1878 की धारा–28(वर्तमान में भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–29) के अन्तर्गत अधिसूचित संरक्षित वन के अन्तर्गत आता है।
7. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रमुख सचिव वन उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा शासनादेश संख्या–1566/14–2–97–800(II)/1997 दिनॉक 17.03.1997 द्वारा प्रमुख वन संरक्षक उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं प्रमुख वन संरक्षक (उत्तराखण्ड), उत्तर प्रदेश नैनीताल को भारतीय वन अधिनियम–1878 की धारा–28 के अन्तर्गत शासकीय अधिसूचना संख्या– 869–एफ/638 दिनॉक 17.10.1893 द्वारा बेनाप भूमि को रक्षित वन भूमि घोषित करने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की गयी है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि दिनॉक 17.10.1893 की अधिसूचना में अधिसूचित भूमि की विधिक स्थिति रक्षित वन है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनॉक 12.12.1996 को दिये गये निर्णय के सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वन संरक्षण अधिनियम–1980 विधिक रूप से मान्य सभी प्रकार के वनों में लागू होगा चाहे उसका स्वामित्व किसी का भी क्यों ना हो।

NOTARY
STATE OF UTTARAKHAND

8. इस प्रकार नैनी झील की प्रास्थिति संरक्षित वन की होने के कारण आद्रभूमि(संरक्षण एवं प्रबन्धन) अधिनियम–2017 के नियम–3 के परन्तुक के अनुसार उक्त नियम नैनी झील के सम्बन्ध में लागू नहीं होते हैं।
9. वर्तमान में नैनी झील के जल का उपयोग नैनीताल शहर के पेयजल, धोबीघाट एवं सिचाई के उपयोग में आता है, नैनीताल झील में नौकायन के माध्यम से पर्यटन व्यवसाय चलता है इसके अतिरिक्त नैनीताल नगर के अन्तर्गत विभिन्न पर्यटन सम्बन्धित व्यवसाय भी नैनी झील से सम्बन्धित है।
10. नैनी झील के वर्तमान में मानव निर्मित स्वरूप हेतु नाले(नहर) एवं डॉठ के निर्माण, नैनी झील के विभिन्न उपयोगों एवं इसकी संरक्षित वन की प्रकृति को देखते हुये जनपद स्तरीय आद्रभूमि तकनीकी समिति जनपद नैनीताल का यह मत है कि नैनी झील को आद्रभूमि(संरक्षण एवं प्रबन्धन) अधिनियम–2017 के अन्तर्गत वेटलैण्ड(आद्रभूमि के रूप में) अधिसूचित किया जाना उचित नहीं है।

जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हुये बैठक के समापन की घोषणा की गयी।

(चन्द्रशेखर जोशी) भा.व.से.
सदस्य, सचिव जिला स्तरीय,
आद्रभूमि तकनीकी समिति नैनीताल/उप
वन संरक्षक, नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

(वन्दना) भा.प्र.से.
अध्यक्ष, जिला स्तरीय, आद्रभूमि
तकनीकी समिति नैनीताल
/जिलाधिकारी नैनीताल।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

पत्रांक 6977/32 – 1 / 15.05.2025 दिनॉक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सदस्य सचिव, राज्यस्तरीय तकनीकी समिति कार्यालय उत्तराखण्ड राज्य आद्रभूमि प्राधिकरण गौरादेवी पर्यावरण भवन, 46–बी, आई टी पार्क सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून को उनके पत्रांक –920/T–95/आद्रभूमि/2025–26 दिनॉक 01.04.2025 के क्रम में।
2. अध्यक्ष, जिला स्तरीय तकनीकी समिति, राज्य आद्रभूमि प्राधिकरण नैनीताल/जिलाधिकारी नैनीताल।
3. मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
5. अपरजिलाधिकारी,(वित्त एवं राजस्व) नैनीताल।
6. मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल।
7. मुख्य उद्यान अधिकारी, नैनीताल।
8. सहायक निदेशक(मतस्य), भीमताल, नैनीताल।
9. जिला पर्यटन विकास अधिकारी, नैनीताल।
10. अधिशासी अभियन्ता, सिचाई खण्ड, नैनीताल।
11. आपदा प्रबन्धन अधिकारी, जनपद नैनीताल।

(चन्द्रशेखर जोशी) भा.व.से.
सदस्य, सचिव जिला स्तरीय
आद्रभूमि तकनीकी समिति नैनीताल/उप
वन संरक्षक, नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

NOTARY
STATE OF UTTARAKHAND